प्रेषक

अभिषेक कुमार बगड़िया (एच.जे.एस.)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद– अलीगढ़।

सेवा में

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय,
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा–

माननीय जनपद न्यायाधीश,
अलीगढ़।

विषय– पूर्व में की गयी उ०प्र० राज्य व भारत सरकार के अधीन की गयी सेवाओं को जोड़ने एवं पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने हेतु विकल्प चुनने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी वर्तमान में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद अलीगढ़ के पद पर तैनात है। प्रार्थी की नियुक्ति उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2018, के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नोटिफिकेशन नं–154/एडमिन (सर्विसेज)/2021 दिनांकित 24 मार्च, 2021 के अनुपालन में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन.आई.ए.) नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं– 698/2021 पत्र संख्या– PF/AKB/PP–UPSC/NIA/2015/4940 दिनांकित 07 अप्रैल, 2021 द्वारा वरिष्ठ लोक अभियोजक के पद से (दो वर्ष का धारणाधिकार सहित) कार्यमुक्त होकर दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को जनपद फैजाबाद/अयोध्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–08 में कार्यभार ग्रहण किया गया। (कार्यालय आदेश संलग्नक–1 एवं नोटिफिकेशन संलग्नक–2)

वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने से पूर्व प्रार्थी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन.आई.ए.) नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ लोक अभियोजक/ लोक अभियोजक के पद पर, दिनांक 06 अगस्त 2015 से 07 अप्रैल 2021 तक कार्यरत था। इससे पूर्व उ०प्र० सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर 11 अप्रैल, 2005 से लेकर 05 अगस्त, 2015 तक सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी के रूप में जनपद प्रतापगढ़, गोरखपुर तथा बरेली में नियुक्त रहा था।

प्रार्थी के पूर्वधारित सहायक अभियोजन अधिकारी का पद उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत/विज्ञापित सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002 विज्ञापन संख्या–ए–4/ई–1/2002 दिनांक 25 जनवरी 2003 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मेरे द्वारा निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्रांक एक–दो–136–2004/1877/05 लखनऊ दिनांकः 29 मार्च, 2005 के निर्देशानुसार प्रार्थी ने सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 को पुलिस अकादमी मुरादाबाद में नव प्रशिक्षु के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। **प्रार्थी द्वारा नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी के पद का विज्ञापन नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 और दिनांक 01.04.2005 के पूर्व दिनांक 25 जनवरी 2003 को विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था।** (विज्ञापन संलग्नक–3 एवं नियुक्ति पत्र संलग्नक–4)।

पुनः प्रार्थी संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा चयनित होने पर उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–9 के शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2066/छः–पु०–9–15–

31(65)/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015, अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्रांक एक–दो–136–2004 (13)/3543/15 दिनांक 05 अगस्त, 2015 तथा कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद बरेली के पत्रांक जिला–01/अभि०/पी०ओ०/12/265 दिनांक 05 अगस्त, 2015 से कार्यमुक्त होकर दिनांक 06 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एन.आई.ए.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार में लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। (सभी आवश्यक शासनादेश, कार्यालय ज्ञाप एवं नियुक्ति पत्र संलग्रक–5 लगायत संलग्रक–9)।

प्रार्थी ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी/ अभियोजन अधिकारी के पद से राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एन.आई.ए.) गृह मंत्रालय, भारत सरकार में लोक अभियोजक के पद पर तथा राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एन.आई.ए.) के वरिष्ठ लोक अभियोजक के पद से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा हमेशा सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की अनुमति से परीक्षा में सम्मिलित हुआ तथा पदभार ग्रहण किया है। (पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा ई–सर्विसेज पोर्टल द्वारा भी पूर्व की सेवा जोड़े जाने हेतु पत्राचार किया है)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 **दिनांकित 28 जून, 2024** एवं संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 **दिनांक 11 जुलाई 2024** में वर्णित निर्देश व विकल्प के प्ररूप के अनुरूप **अधोहस्ताक्षरी पुराने पेंशन योजना का चुनाव अन्तिम रूप से करता है** एवं **निर्धारित विकल्प प्ररूप को हस्ताक्षरित कर प्रेषित कर रहा है**। वह उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किये जाने वाली शर्तो को पूर्ण करता है क्योकि प्रार्थी का सर्वप्रथम चयन **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विज्ञापित सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002 विज्ञापन संख्या– ए–4/ई–1/2002 दिनांक 25 जनवरी 2003** में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर हुआ था। (सभी आवश्यक शासनादेश संलग्रक–10 एवं विकल्प–पत्र संलग्रक–11)।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को अन्तिम रूप से चुनने के निर्णय को स्वीकार करते हुये उसे उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 का लाभ प्रदान करने की कृपा करें तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में की गयी शासकीय सेवाओ को पेंशन व अन्य सेवा लाभ के लिये जोड़ने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक– 18.07.2024

भवदीय,

Abhishek 18/07/2024

(अभिषेक कुमार बगड़िया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद–अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

<u>प्रतिलिपि–</u>

1. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. श्रीमान् महानिदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।